फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्रीमती कंवरी / हेमा जी निवासी गॉव अर्जुनगढ़, पो0 ताल ब्लॉक देवगढ़ जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 114 / 2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 16.12.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से जरिये पत्र क्रमांक :— सूकाअ / 24 / 2025 / 108 दिनांक 09.12.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक श्रीमती कंवरी देवी पत्नि स्व0 श्री हेमा सालवी निवासी अर्जुनगढ़ पो0 ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना आवेक को कार्यालय के पत्रांक सूकाअ / 24 / 2025 / 97 दिनांक 28.10.2025 द्वारा प्रति उपलब्ध करा दी गई। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ द्वारा जरिये पत्रांक सूकाअ / 24 / 2025 / 97 दिनांक 28.10.2025 से अपीलार्थी / प्रार्थी को सूचित कर दिये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)